न्यायालय ... अधिकारी
पदेन ... कलेक्टर
करेड़ा (भीलवाड़ा)

प्रकरण सं. 138/2018 प्रार्थना पत्र

श्री चुन्नीलाल कुमावत बनाम राज.राज्य जरिये तहसीलदार करेड़ा

दिनांक 18.12.2019.

पत्रावली पेश हुई। वकील उभयपक्ष उपस्थित। पत्रावली में उभयपक्ष अधिवक्ता की बहस समायत की गई। वकील प्रार्थी ने ग्राम लादूवास पटवार हल्का लादुवास–प्रथम् भू अभिलेख निरीक्षक बैमाली तहसील करेड़ा स्थित आ0नं0 433 रकबा 03 बीघा 09 बिस्वा भूमि में आने जाने का एकमात्र रास्ता बिलानाम आ0नं0 195 रकबा 05 बीघा 04 बिस्वा भूमि के मध्य से होकर है। इसके अलावा अन्य कोई वैकप्पिक रास्ता उपलब्ध नहीं है। उक्त बिलानाम आ0नं0 195 के मध्य 25 फीट चौड़ाई का रास्ता मेरी खातेदारी आ0नं0 433 पर आने जाने हेतु दिलाने एवं नये रास्ते को राजस्व रेकार्ड में दर्ज किये जाने का आदेश प्रदान करावे तथा प्रार्थी सरकार द्वारा निर्धारित मुआवजे की राशि का भुगतान करने के लिये तैयार है।

प्रकरण में वकील प्रार्थी की बहस पर मनन किया। पत्रावली में तहसीलदार करेड़ा से प्राप्त मौका जांच रिपोर्ट एवं उपलब्ध रेकार्ड का अवलोकन किया गया। मौका जांच अनुसार बिलानाम आ0नं0 195 में वर्तमान में रास्ता बना हुआ है। मौके पर रास्ता चालू है। मौके पर उक्त चालू रास्ते के अलावा अन्य कोई रास्ता नहीं है। वर्तमान में वादी की आ0नं0 433 रकबा 3.09 बीघा पर बिलानाम आ0नं0 195 में से होकर ही आया जाया जा रहा है। मौका जांच रिपोर्ट के साथ संलग्न नजरी नक्शा के अवलोकन से बिलानाम आ0नं0 195 में आने–जाने का रास्ता मध्य में स्थित है। बिलानाम भूमि के मध्य रास्ता दिया जाना न्यायोचित नहीं होकर उत्तरी सीमा के सहारे–सहारे दिया जाना न्यायोचित है।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर ग्राम लदुवास की बिलानाम आ0नं0 195 में उत्तरी सीमा के सहारे–सहारे 12 फीट की चौड़ाई का रास्ता (रकबा 0.07 बिस्वा) कायम करने एवं राजस्व नक्शे में तरमीम किये जाने का आदेश प्रदान किया जाता है। इस आदेश की पालना में तहसीलदार करेड़ा

उपखंड अधिकारी पदेन
सहायक कलक्टर करेड़ा

को तहरीर इस निर्देश के साथ जारी की जावे कि रास्ते के लिए आरक्षित की जाने वाली 07 बिस्वा भूमि की डी.एल.सी. दर से दो गुणा मूल्य प्रार्थी से वसूल कर राजकोष मे जमा की जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नबर से कम की जावे।

निर्णय सरे ईजलाश सुनाया गया।

(महीपाल सिंह)
आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर
करेड़ा जिला भीलवाड़ा

उपखण्ड अधिकारी एवं
सहायक कलक्टर करेड़ा